हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 19 नवम्बर, 2026

संख्या : वि0स0–विधायन–विधेयक/1–40/2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026**

(2026 का विधेयक संख्यांक 28) जो आज दिनांक **19 नवम्बर, 2026** को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

———————

2026 का विधेयक संख्यांक 28.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 3 का संशोधन।
4. धारा 8 का संशोधन।
5. धारा 12 का संशोधन।
6. धारा 30–झ का संशोधन।
7. धारा 37 का संशोधन।
8. धारा 46 का संशोधन।
9. धारा 85 का संशोधन।
10. धारा 159 का संशोधन।
11. धारा 161 का संशोधन।
12. धारा 302 का संशोधन।
13. धारा 339 का संशोधन।
14. धारा 345 का संशोधन।
15. धारा 352 का संशोधन।
16. द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

———————

2026 का विधेयक संख्यांक 28.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. धारा 2 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,–

(क) विद्यमान खंड (1) को खंड (1क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) इम प्रकार पुनः संख्यांकित खंड (1क) से पूर्व निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(1) "लेखा परीक्षा अभिकरण" से, प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है जिसके तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अधीन निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नगरपालिकाओं के लेखों का लेखा परीक्षण किया जाएगा, जिसे नगर निगम के लेखों के लेखा परीक्षण के संचालन हेतु नगर निगम की सुसंगत सूचना और अभिलेख तक पहुंच का अधिकार होगा;"; और

(ग) खण्ड (9) के उप–खण्ड (क) में, "कोढ़" शब्द का लोप किया जाएगा।

3. धारा 3 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा में,–

(क) उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के अधीन विद्यमान या गठित या घोषित प्रत्येक निगम की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र उस निगम का नगरपालिका क्षेत्र होगा।"।

(ख) उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(3) सरकार समय–समय पर निगम के परामर्श के पश्चात् राजपत्र गजट में अधिसूचना द्वारा उप–धारा (1) और (2) के अधीन घोषित निगम के नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित या अपवर्जित किया जा सके :

परन्तु जिस नगरपालिका क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र की बाबत ऐसी अधिसूचना प्रकाशित की गई हो, जिसका कोई भी निवासी, यदि वह प्रस्तावित सीमा–परिवर्तन के प्रति आक्षेप रखता है, तो वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपने लिखित अभ्यावेदन के माध्यम से, उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार को अपनी आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा, और राज्य सरकार ऐसे आक्षेप पर विचार करेगी :

परन्तु यह भी कि, उक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् तथा प्रथम परन्तुक के अधीन प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के उपरान्त, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे स्थानीय क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित करके या उससे अपवर्जित करके, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में अंतिम रूप से परिवर्तन कर सकेगी।"।

4. धारा 8 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(5) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति उप–धारा (1) और (2) के अधीन किसी निरर्हताओं के अध्यधीन निरर्हित है या हो गया है तो सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चय,–

(क) किसी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि ऐसा प्रश्न उठता है, तो किसी अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा; और

(ख) निर्वाचन प्रक्रिया सम्पूर्ण होने के पश्चात् यदि ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है, तो निदेशक द्वारा किया जाएगा।"।

5. धारा 12 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 12 में,–

(क) उप–धारा (1) के पश्चात् विद्यमान परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि आकस्मिक रिक्ति प्राप्त होने पर सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को इस उपबंध के अनुसार आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए सूचित करेगी।"।

(ख) विद्यमान परन्तुक में, "परन्तु" शब्द के पश्चात "यह और" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. धारा 30–झ का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 30–झ में,–

(क) पार्श्व शीर्षक में, "मतदान के दिन" शब्दों के पश्चात् "और गणना के दिन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप–धारा (1) में '' मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टों के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घण्टे की अवधि के दौरान '' शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "और गणना के दिन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. धारा 37 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 37 की उप–धारा (2) में, "दो तिहाई" शब्द के स्थान पर "बहुमत" शब्द रखे जाएंगे।

8. धारा 46 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (3) के स्थान पर उप–धारा निम्नलिखित रखी जाएगी :–

"(3) निगम को सभी विधिक मामलों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक विधि सलाहकार, जो जिला न्यायवादी की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे निगम द्वारा अभियोजन विभाग के लोक अभियोजकों में से सैकेण्डमैंट आधार पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसी विहित की जाए, नियुक्त किया जाएगा।"।

9. धारा 85 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 85 में "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि यदि पूर्व वर्ष के दौरान उपयोगकर्त्ता प्रभार संदत्त नहीं किए गए हैं तो उन्हें उसे जुर्माने के साथ संपत्ति कर के बकाया के रूप में जोड़ा जाएगा।"।

10. धारा 159 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 159 के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) ऐसी प्रत्येक संविदा जिसमें बीस लाख रुपये से अनधिक या ऐसी उच्चतर रकम, जो एक करोड़ रुपये से अधिक न हो, का व्यय अंतर्वलित है, जिसे राज्य सरकार, मुद्रास्फीति, संकर्मो और प्रापण लागत में वृद्धि, नगर निगमों की वित्तीय क्षमता और लोक हित को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, आयुक्त द्वारा की जा सकेगी :

परन्तु यह कि बीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की या ऐसी उच्चतर रकम, जो एक करोड़ रुपये से अधिक न हो, की संविदा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, मुद्रास्फीति, कार्यों और प्रापण की लागत में वृद्धि, नगर निगमों की वित्तीय क्षमता और लोक हित को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें, आयुक्त द्वारा निगम के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही की जाएगी।"।

11. धारा 161 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 161 में,–

(क) उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात :–

''(3) नगर निगम के लेखों की लेखा परीक्षा, प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा हिमाचल प्रदेश और निदेशक, हिमाचल प्रदेश लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संपरीक्षित की जाएगी जिनके पास नगर निगम की सुसंगत सूचना और अभिलेखों तक पहुंच होगी।"; और

(ख) उप–धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(3क) नगर निगम के वार्षिक लेखे हिमाचल प्रदेश के राज्य लेखा परीक्षा विभाग के लेख परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाएंगेः

परन्तु यह कि नगर निगम के लेखाओं की संपरीक्षा, प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश के समग्र तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी।"

12. धारा 302 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 302 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(5 क) कोई भी ओवरहेड केबल नेटवर्क, दूरसंचार केबलें, उपग्रह नेटवर्क केबलें तथा तार या कोई अन्य केबलें एवं तार शामिल हैं, जो सम्बद्ध निगम की अनुमति के बिना शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों, जैसे कि स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों, खेल के मैदानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, विरासत भवनों एवं उनके अग्रभागों, पैदल यात्री पथों एवं पैदल मार्गों, सड़कों, सार्वजनिक पार्कों, आवासीय, वाणिज्यिक एवं कार्यालय परिसरों, बाजारों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा हरित गलियारों या हरित क्षेत्रों में लटकते हुए, खींचे हुए, निलंबित अवस्था में अथवा बिछे हुए पाए जाते हैं और जिनसे क्षेत्र का स्वरूप विकृत होता है, क्षेत्र के सौंदर्य को नुकसान पहुंचता है, जीवन एवं सुरक्षा को खतरा या जोखिम उत्पन्न होता है अथवा मानव जीवन संकट में पड़ता है, ऐसे केबल नेटवर्क को विहित उपविधियों या नियमों के अनुसार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त निगम के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा हटाया या विनियमित किया जा सकेगा।"

13. धारा 339 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 339 में, ''विहित श्रेणी के किसी वृक्ष'' शब्दों के पश्चात् ''तथा किसी भी व्यक्ति, एजेंसी, ठेकेदार या सेवा प्रदाता को पेड़ों में कीलें, हुक, क्लैम्प, स्क्रू या अन्य प्रकार के फिक्स्चर ठोकने अथवा पेड़ों से तार, केबल, साइनबोर्ड, उपकरण या अन्य सामग्री इस प्रकार जोड़ने, बांधने, लटकाने या निलंबित करने से प्रतिबंधित करना, जिससे पेड़ों को नुकसान पहुंचे, उनकी वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो या उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. धारा 345 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 345 की उप–धारा (3) के खण्ड (i) में ''।'' चिन्ह के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

''परन्तु यह भी कि, इस अध्याय के अधीन, यदि सरकारी भूमि पर वृक्षों की कटाई या हटाया जाना जनसाधारण के जीवन के प्रति आसन्न खतरे को टालने के लिए अथवा जनहित में (सरकारी भूमि पर) या आपात परिस्थितियों में (सरकारी भूमि पर) आवश्यक हो, तो ऐसे वृक्षों की कटाई या हटाए जाने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतू सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव सक्षम प्राधिकारी होंगे ।''।

15. धारा 352 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 352 में, ''कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, अथवा दोनों से'', शब्दों के पश्चात् "तथा अनधिकृत रूप से लगाए गए संलग्नकों को हटाने की लागत, प्रभावित स्थल की पुनर्बहाली, जिसमें सुधारात्मक उपायों पर किए गए व्यय की वसूली भी सम्मिलित है, जो क्षति की प्रकृति एवं सीमा के अनुपात में होगी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

16. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.—(1) मूल अधिनियम से संलग्न द्वितीय अनुसूची में सारिणी में,–

(क) स्तम्भ संख्या 3 में, "धारा 227, उप–धारा (1) और धारा 227, उप–धारा (2)" के सामने ''एक मास का कारावास या, 10,000 रुपये या दोनों'' शब्दों, अंकों और चिन्हों के स्थान पर ''20000'' अंक रखे जाएंगे।

(ख) "धारा 242, धारा 253, धारा 356, उप–धारा (5), धारा 357, धारा 358, धारा 363 और धारा 409" के सामने,–

(i) स्तम्भ संख्या 3 में, ''कारावास जो तीन मास तक का हो सकेगा या 10,000 रुपये या दोनों'' शब्दों, अंकों और चिन्ह के स्थान पर ''20000'' अंक रखे जाएंगे।

(ii) स्तम्भ संख्या 4 में, ''1000'' अंकों के स्थान पर ''2000'' अंक रखे जाएंगे; और

(ग) "धारा 296, उप–धारा (1) के सामने ''कारावास जो एक मास तक का हो सकेगा या, 10,000 रुपये या दोनों'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर ''10000'' अंक रखे जाएंगे।

(घ) धारा 302 से संबंधित प्रविष्टि के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

धारा, उप–धारा, खंड या परंतुक	विषय	अधिरोपित किया जा सकने वाला जुर्माना या कारावास	अधिरोपित किया जा सकने वाला दैनिक जुर्माना
1	2	3	4
		रुपए	रुपए
धारा 302, उप–धारा (5क)	सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत ओवरहेड केबल नेटवर्क से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन, जिससे जनसुरक्षा खतरे में पड़ती है तथा शहरी क्षेत्रों के सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।	कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना, जो 1,00,000 रुपए तक हो सकेगा, या ऐसा कारावास जो तीन मास तक हो सकेगा।	

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 12) राज्य में नगर निगमों के प्रशासन एवं कार्यप्रणाली को विनियमित करता है। हाल के वर्षों में इस अधिनियम को कार्यान्वयन में कतिपय कमियां और प्रक्रियात्मक विसंगतियां देखी गई हैं। अधिक स्पष्टता, प्रशासनिक दक्षता और न्यायालय के निर्देशों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 में "लेखापरीक्षा अधिकरण" को परिभाषित करने, नगर निगम की लेखापरीक्षाओं को सुव्यवस्थित करने तथा पार्षदों की निरर्हता, आकस्मिक रिक्तियों की रिपोर्टिंग, अविश्वास प्रस्तावों और मतदान के दिनों के प्रतिबंधों से संबंधित नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य नगर निगमों के गठन और नगर निगम सीमाओं में परिवर्तन में एकरूपता लाना, नगर निगम विधिक सलाहकार की नियुक्तिक्त, अंशदत्त उपयोगकर्ता प्रभारों की वसूली तथा लघु अपराधों के निरपराधीकरण का प्रावधान करना भी है।

प्रस्तावित संशोधन खतरनाक रोगों की परिभाषा से कुष्ठ रोग को हटाकर और आयुक्तों द्वारा निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की वित्तीय सीमा बढ़ाकर विद्यमान उपबन्धों को अद्यतन करते हैं। यह अत्यंत आपात

स्थितियों के दौरान वृक्षों को हटाने की शक्तियों को प्रत्यायोजित करने, अनधिकृत शिरोपरि केबलों को विनियमित करने तथा शहरी, विरासत और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वृक्षों की सुरक्षा के लिए विधिक रक्षोंपायों को सुदृढ़ करने के उपाय भी प्रस्तावित करता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विक्रमादित्य सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशाला :
तारीख ....., 2026

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 28 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 3.
4. Amendment of section 8.
5. Amendment of section 12.
6. Amendment of section 30-I.
7. Amendment of section 37.
8. Amendment of section 46.
9. Amendment of section 85.
10. Amendment of section 159.
11. Amendment of section 161.
12. Amendment of section 302.
13. Amendment of section 339.
14. Amendment of section 345.
15. Amendment of section 352.
16. Amendment of SECOND SCHEDULE .

———————

Bill No. 28 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of section 2. —In section 2 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), —

(a) the existing clause (1) shall be renumbered as clause (1a);

(b) before clause (1a) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

"(1) "Audit Agency" means the Principal Accountant General Audit, Himachal Pradesh, under whose technical guidance and supervision the audit of the accounts of Municipalities shall be conducted, by Director, Himachal Pradesh State Audit Department who shall have the access to relevant information and record of Municipal Corporation for conducting audit of accounts of Municipal Corporation;"; and

(c) in clause (9), in sub-clause (a) the word and sign "leprosy," shall be omitted.

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) For the purposes of this Act, the area comprised within the limits of every Corporation existing or constituted or declared under this Act shall be the municipal area of such Corporation.".

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) The Government may, from time to time, after consultation with the Corporation, by notification in the Official Gazette, declare its intention to alter the limits of the municipal area of the Corporation declared under sub-sections (1) and (2), so as to include therein or exclude therefrom such areas as may be specified in the notification:

Provided that any inhabitant of the municipal area or local area in respect of which such notification has been published may, if he objects to the proposed alteration of limits, submit his objection in writing through the Deputy Commissioner to the State Government within a period of two weeks from the date of publication of the notification, and the State Government shall take such objection into consideration:

Provided further that, after the expiry of the said period of two weeks and after consideration of objections, if any, received under the first proviso, the State Government may, by notification published in the Official Gazette, finally alter the limits of the municipal area by including therein or excluding therefrom such local area or areas as may be specified in the said notification.".

4. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(5) If any question arises as to whether a person is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in sub-sections (1) and (2), the question shall after giving an opportunity of being heard to the person concerned be decided,—

(a) if such question arises during the process of an election, by an officer who may be authorised in this behalf by the State Government, in consultation with the State Election Commission; and

(b) if such question arises after the election process is over, by the Director.".

5. Amendment of section 12.—In section 12 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), before the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the Government on receipt of casual vacancy shall intimate the State Election Commission to fill up the casual vacancy in accordance with this provision:";

(b) in the existing proviso after the word "Provided", the word "further" shall be inserted.

6. Amendment of section 30-I.—In section 30-I of the principal Act,—

(a) in the marginal heading, after the words "on polling day", the words "and counting day" shall be inserted; and

(b) in sub-section (1), after the words "conclusion of the poll", the words "and on the day of counting" shall be inserted.

7. Amendment of section 37.— In section 37 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "two-third", the word "majority" shall be substituted.

8. Amendment of section 46.—In section 46 of the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) There shall be a Legal Advisor, not below the rank of District Attorney, to aid and advice the Corporation in all legal matters, to be appointed by the Corporation from amongst the Public Prosecutors of Prosecution Department on secondment basis on such terms and conditions as may be prescribed.".

9. Amendment of section 85.—In section 85 of the principal Act, in the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if the user charges during the previous year are not paid, the same alongwith fine thereof shall be added as arrear of Property Tax.".

10. Amendment of section 159.—In section 159 of the principal act, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) Every contract involving an expenditure not exceeding rupees twenty lakh or such higher amount, not exceeding rupees one crore, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify from time to time, having regard to inflation, escalation in the cost of works and procurement, financial capacity of the Municipal Corporations and public interest, may be made by the Commissioner:

Provided that the contract exceeding rupees twenty lakh in value or such higher amount, not exceeding rupees one crore, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify from time to time, having regard to inflation, escalation in the cost of works and procurement, financial capacity of the Minicipal Corporations and public interest, shall be made by the Commissioner only after prior approval of the Corporation. ".

11. Amendment of section 161.—In section 161 of the principal Act,—

(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) The accounts of Municipal Corporation shall be audited by the Principal Accountant General Audit, Himachal Pradesh and the Director of Audit Department who shall have access to relevant information and records of the municipality."; and

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3A) The annual accounts of Municipal Corporation will be certified by the auditors of the State Audit Department Himachal Pradesh:

Provided that the audit of the accounts of Municipal Corporation shall be conducted under the overall technical guidance and supervision of the Principal Accountant General Audit, Himachal Pradesh."

12. Amendent of section 302.—In section 302 of the principal Act, after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(5A) Any overhead cable network, telecommunication cables, satellite network cables and wires or any other cables and wires found hanging, stretched, suspended and laid in public places within municipal areas, without the permission of the concerned Corporation, including health and educational institutions, playgrounds, bus-stands, railway stations, heritage buildings and facades, pedestrian pathways and walkways, streets, public parks, residential, commercial and office complexes, markets, industrial establishments and green corridors or green pockets, tree or any other such places, which causes disfigurement, destruction of the aesthetics of the area, danger or threat to life and safety or endangering human life, shall be liable to be removed or regulated by an officer or other employee of the Corporation appointed in this behalf in accordance with the prescribed bye-laws or rules.".

13. Amendment of section 339.—In section 339 of the principal Act, **after the words "trees of the prescribed class", the words and signs "**and prohibit any person, agency, contractor or service provider from driving nails, hooks, clamps, screws or other fixtures into trees, or attaching, tying, hanging or suspending wires, cables, signboards, equipment or other materials from trees in a manner that causes injury, obstructs growth or compromises tree health" shall be inserted.".

14. Amendment of section 345.—In section 345 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (iii), at the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the Administrative Secretary, Urban Development to the Government shall be the Authority under this Chapter to grant permission for cutting or removing trees on the

Government land if such cutting of trees is required so as to avoid immediate danger to the life of the public or in the interest of general public (in Government land) or in emergent circumstance.”.

15. Amendment of Section 352.—In section 352 of the principal act, after the words "or with both", the words “and cost of removal of unauthorized attachments, restoration of the affected site including recovery of remedial measures proportionate to the nature and extent of damage" shall be inserted.".

16. Amendment of SECOND SCHEDUE.—In the SECOND SCHEDULE appended to the principal Act, in the TABLE,—

(a) against the entries “section 227, sub-section (1) and section 227, sub-section (2)”, in column 3, for the words, figures and sign “Imprisonment for one month and Rs. 10,000 or both”, the figures 20000 shall be substituted;

(b) against the entries “section 242, section 253, section 356, sub-section (5), section 357, section 358, section 363 and section 409”,—

(i) in column 3, for the figures, words and signs “10,000 or imprisonment upto three months or both”, the figures “20000” shall be substituted; and

(ii) in column 4, for the figures “1000”, the figure “2000” shall be substituted; and

(c) against entry “section 296, sub-section (1), for the words, figures and signs “Imprisonment which may extend to one month or Rs 10000 or both”, the figures “10000" shall be substituted;

(d) against the entry section 302, after the existing entry, the following entry shall be inserted, namely:—

Section, sub-section, clause or proviso	Subject	Fine or imprisonment which may be imposed	Daily fine which may be imposed
1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 302, sub-section (5A)	Contravention of provisions relating to unauthorised overhead cable networks in public places, endangering public safety and affecting the aesthetics of municipal areas.	Not less than Rs. 10,000, which may extend to Rs. 1,00,000, or imprisonment which may extend to three months.	---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994), regulates the administration and functioning of Municipal Corporations in the State. Certain deficiencies and procedural inconsistencies have been notices in the implementation of the Act in the recent years. To ensure greater clarity, administrative efficiency, and alignment with court directions, the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2026 proposes to define "Audit Agency," streamline municipal audits, and simplify rules on the disqualification of Councillors, reporting of casual vacancies, no-confidence motions and election-day restrictions. It also aims to bring uniformity in the formation of Municipal Corporations and alteration of municipal limits, providing for the appointment of Municipal Legal Advisor, the recovery of unpaid user charges and the decriminalisation of minor offences.

The proposed amendments update existing provisions by removing "leprosy" from the definition of dangerous diseases and increasing the financial limit for contracts executed by Commissioners. It also introduces measures for delegating powers to remove trees during extreme emergencies, regulating unauthorised overhead cables, and strengthening legal safeguards to protect urban heritage and ecologically sensitive trees.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIKRAMADITYA SINGH)
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :

THE……,2026